आखिरी जांच: 4 अक्टूबर 2026 · Department of Social Welfare, Uttar Pradesh

National Family Benefit Scheme

उत्तर प्रदेश में किसी गरीब परिवार के 18 से 60 साल के कमाऊ मुखिया की मौत होने पर परिवार को एक बार 30,000 रुपये की मदद मिलती है। यह राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत चलती है।

क्या मिल सकता है

मृत कमाऊ सदस्य के आश्रित को एक बार 30,000 रुपये मिलते हैं। पैसा PFMS से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है।

किसके लिए है

उत्तर प्रदेश के गरीब परिवारों के आश्रित, जिनके घर का कमाऊ मुखिया (पुरुष या महिला) नहीं रहा।

मुख्य शर्तें

- परिवार के कमाऊ मुखिया (पुरुष या महिला) की मौत 18 से 60 साल की उम्र के बीच हुई हो।
- परिवार गरीबी रेखा के नीचे हो: गांव में सालाना आमदनी 46,080 रुपये और शहर में 56,460 रुपये तक।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो।

दस्तावेज़

- वैध आधार कार्ड
- CRS पोर्टल से सत्यापित मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आधार से जुड़ा बैंक खाता नंबर
- फोटो या अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी
- मृतक की उम्र का प्रमाण (आधार, वोटर आईडी, परिवार रजिस्टर की नकल या शैक्षिक प्रमाण पत्र)

आवेदन कैसे करें

1. NFBS पोर्टल nfbs.upsdc.gov.in खोलें और नया पंजीकरण पर क्लिक करें।
2. ऑनलाइन फॉर्म भरें और मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक विवरण और दूसरे दस्तावेज़ अपलोड करें।
3. इसी पोर्टल पर आवेदन की स्थिति देखें। मंज़ूरी और भुगतान ऑनलाइन होता है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://samajkalyan.up.gov.in/en/article/national-family-benefit-scheme
आधिकारिक आवेदन: https://nfbs.upsdc.gov.in/Registration_New.aspx
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/uttar-pradesh/up-national-family-benefit/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।